न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर
कैम्प कोर्ट– ग्राम पंचायत टहटडा

पीठासीन अधिकारी श्री सोहनराम चौधरी आर.ए.एस.

वाद संख्या 3/3/18

अनुवान–प्रधानाचार्य रा0उ0मा0वि टहटडा तहसील रैणी बनाम तहसीलदार रैणी।

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट

<u>निर्णय दिनांक 01.05.2018</u>

आज यह पत्रावली लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत टहटडा पर वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि रा0उ0मा0वि टहटडा तहसील रैणी को उपखण्ड अधिकारी राजगढ के आदेशानुसार साबिक खसरा नं0 887/448 रकबा 2 बीघा विधालय के खैल मैदान हेतु आवंटित हुई थी, जिसका नामान्तकरण संख्या 274 दिनांक 23.12.1983 को स्वीकृत होकर जमाबन्दी संवत 2036 मे अमल किया जा चुका था। वर्तमान भूप्रबन्धक संवत 2046 में उक्त आराजी को सिवायचक दर्ज कर दिया, जो कार्यवाही गलत है। उक्त साबिक खसरा नं0 887/448 रकबा 2 बीघा विधालय के खैल मैदान हेतु आवंटित हुई थी, के नवीन खसरा नं 609, 610 रास्ता 702 के पूर्व वर्तमान खसरा नं. 701 खैल मैदान स्थित है। यह है कि संवत 2036–39 के अनुसार वर्तमान राजस्व रिर्काड मे आराजी का खैल मैदान के नाम अंकन नही हुआ। अन्त मे प्रार्थना पत्र स्वीकार कर साबिक जमाबन्दी 2036 के अनुसार हाल रिर्काड मे दुरूस्ती करने का निवेदन किया । प्रार्थना पत्र की पुष्टि मे दस्तावेज मिलान क्षेत्रफल 2046, नक्शा सन् 1957, संवत 2042 नामान्तकरण संख्या 274 जमाबन्दी संख्या 2065–68, जमाबन्दी संवत 2036, की नकल पेश की व प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार रैणी से जांच रिर्पोट तलब की गई। तहसीलदार रैणी व पटवारी हल्का टहटडा द्वारा जांच रिर्पोट पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम टहटडा में संवत 2036 में नामान्तकरण संख्या 274 के जर्ये आराजी खसरा नं. 448 रकबा 26 बीघा 15 बिस्वा में से दो बीघा भूमि रा0उ0मा0वि0 टहटडा के नाम दर्ज की गई है। आराजी खसरा नं0 448 मि. रकबा 2 बीघा को भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा नं0 को शामिल करते हुए नये खसरा नं0 701 रकबा 3.51 है0 गै0मु0 पहाड बनाया गया, जो वर्तमान रिर्काड मे दर्ज किया गया। नामान्तकरण संख्या 274 से रा0उ0मा0वि0 टहटडा के नाम रकबा 2 बीघा खैल मैदान के नाम किया गया, जिसका अमल बन्दोबस्त 2046 मे नही किया गया। वर्तमान रिर्काड के अनुसार खसरा नं0 701 रकबा 3.51 है0 किस्म गै0 मु0 पहाड दर्ज है। मौके के अनुसार पहाड की तलहटी मे आबादी बनी हुई है, तथा खसरा नं0 701 मे नजरी नक्शे के अनुसार खाली भूमि भी स्थित है, तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दुरूस्त किया जाना उचित दर्शाया गया।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया कि रिर्पोट तहसीलदार रैणी व पटवारी हल्का बबेली तथा प्रार्थना पत्र की पुष्टि मे प्रस्तुत दस्तावेजात का भी अवलोकन व निरीक्षण किया। जैसा कि नामान्तकरण संख्या 274 के अंकित इन्द्राज से यह तथ्य प्रार्थी साबित है कि साबिक खसरा नं0 887/448 रकबा 2 बीघा वाके ग्राम टहटडा रा0उ0प्रा0 वि0 टहटडा खैल मैदान के नाम दर्ज व स्वीकार हुआ है, तथा जमाबन्दी संवत 2036 में उक्त नामान्तकरण का अमल का नोट भी अंकित किया हुआ है, मुताबिक

मिलान क्षेत्रफल संवत 2046 मे अंकित इन्द्राज के अनुसार साबिक खसरा नं0 448 मि. को शामिल करते हुए हाल खसरा नं 701 रकबा 3.51 है0 कायम किया गया है, जो मुताबिक जमाबन्दी हाल संवत 2065–68 के इन्द्राज के अनुसार हाल खसरा नं0 701 खाता संख्या 1 मे किस्म गै0मु0 पहाड दर्ज है। बन्दोबस्त विभाग संवत 2046 के द्वारा नामान्तकरण संख्या 274 जिसका अमल जमाबन्दी संवत 2036 में साबिक खसरा नं0 448 मि. रकबा 2 बीघा रा0उ0प्रा0वि0 टहटडा खैल मैदान के नाम हो गया था, के अनुसार ही हाल रिर्काड मे नये नम्बर कायम कर इन्द्राज दर्ज किया जाना चाहिये था, परन्तु बन्दोबस्त विभाग संवत 2046 के द्वारा जो साबिक खसरा नं 448 मि. का रकबा 2 बीघा को शामिल करते हुए हाल खसरा नं0 701 रकबा 3.51 बनाया गया है, जो जमाबन्दी के खाता संख्या 01 में किस्म गै0मु0 पहाड दर्ज किया है,जो साबिक के अनुसार सही नही है। जबकि बन्दोबस्त विभाग संवत 2046 के द्वारा साबिक के साबिक जमाबन्दी संवत 2036 के इन्द्राज के अनुसार साबिक खसरा नं0 448 मि. रकबा 2 बीघा के हाल नये नम्बर कायम कर रा0उप्रा0वि0 टहटडा के खैल मैदान के नाम का इन्द्राज करना चाहिये था। इस प्रकार बन्दोबस्त विभाग को बिना किसी सक्षम आदेश के इन्द्राज परिवर्तन करने का कोई कानूनी अधिकार नही था। बन्दोबस्त विभाग संवत 2046 द्वारा उक्त प्रकरण में जो खातेदारी इन्द्राज का साबिक के विपरीत परिवर्तन किया गया है, वह काबिल दुरूस्ती योग्य है। उक्त प्रकरण मे प्रार्थना पत्र तथ्यों के सही होने की पुष्टि तहसीलदार रैणी व पटवारी हल्का टहटडा की जांच रिर्पोट से भी होती है। इस प्रकार मुताबिक दस्तावेज मिलान क्षेत्रफल 2046, नक्शा सन् 1957, संवत 2042 नामान्तकरण संख्या 274, जमाबन्दी संख्या 2036 के इन्द्राज से व तहसीलदार रैणी तथा पटवारी हल्का टहटडा की रिर्पोट के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी तथ्य साबित होने से प्रार्थना पत्र काबिल स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है किः–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट हाल खसरा नं0 701 रकबा 3.51 है0 किस्म गै0मु0 पहाड खाता संख्या 01 वाके ग्राम टहटडा तहसील रैणी में से 2 बीघा रकबा तक स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रैणी को आदेश दिये जाते है कि वो नामान्तकरण संख्या 274 दिनांक 23.12.1983 के अनुसार 2 बीघा रकबा का इन्द्राज हाल रिर्काड मे तथानक्शे मेरा0उ0प्रा0वि0 टहटडाखैल मैदान के नाम दर्ज कर पालना भिजवायें। तहसीलदार रैणी को पालना हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2018 को मेरे द्वारा लोक अदालत कैम्प कोर्ट टहटडा तहसील रैणी पर सुनाया गया।

(सोहनराम चौधरी आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर
कैम्प कोर्ट– ग्राम पंचायत टहटडा

Web Copy - Not Official